अध्याय I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य

वर्ष 2011-12 के दौरान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों की चली उल्टी बयार ने बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां पैदा कर दीं। यद्यपि बैंकों ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखी, लेकिन उनकी आस्तियों की गुणवत्ता बाधित हुई। ऐसी स्थिति में संस्थाओं की आघात सहने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक और लेखांकन ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं। तथापि, उच्चतर पूंजी मानदंडों, चलनिधि और लीवरेज के परिशुद्ध अनुपातों तथा जोखिम के प्रति बरती जा रही अधिक सावधानी से बैंकों की निधीयन लागतें बढ़ सकती हैं। बासेल-।।। की शर्तों का अनुपालन करने के साथ-साथ एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए नए अवसरों को तलाशना होगा। व्यापक अनुमानों के अनुसार मार्च 2018 तक बासेल-।।। मानदंडों के कार्यान्वयन के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अपेक्षित वृद्धिशील इक्विटी लगभग 750-800 बिलियन रुपये होने की संभावना है। पूंजी संबंधी इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों को नवोन्मेषी और बाजार आधारित आकर्षक निधीयन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ एकीकरण के कारण बैंकों में अतिरिक्त तकनीकी और मानव संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कारगर पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए अपेक्षित विश्लेषित आंकड़ों की आवश्यकता के मद्देनज़र स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग प्रणालियां अपनाते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं से आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह की व्यवस्था साकार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जहाँ तक वित्तीय समावेशन का संबंध है, मात्रात्मक कवरेज में सुधार तो हुआ है, किंतु सतत् कारोबार और सुपुर्दगी मॉडलों के विकास के माध्यम से सार्थक वित्तीय समावेशन हासिल करना ज़रूरी है। हालाँकि कई प्रकार की चुनौतियां हैं, फिर भी विनियामक उपायों और भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित शक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण संबंधी मांगों को पूरा करने में बैंकिंग प्रणाली एक सकारात्मक भूमिका अदा करती रहे।

1. भूमिका

1.1 पिछले वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव में होने के कई सुस्पष्ट लक्षण दिखाई पड़े। यूरो क्षेत्र में समष्टि-आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के साथ ही यूएस तथा उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति धीमी हो जाने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नकरात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ गया है। घरेलू स्तर पर समष्टि-आर्थिक परिस्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। वृद्धि की गति काफी धीमी हो जाने के बावजूद मुद्रास्फीति रिज़र्व बैंक की दृष्टि से स्वीकार्य स्तर से काफी ऊपर बनी हुई है।

1.2 वर्ष 2011-12 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों की उल्टी बयार ने बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौतियां खड़ी कर दीं। आस्तियों को होने वाली हानि में इजाफा होने के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने अपने पूंजी आधार में सुधार और लाभप्रदता को बनाए रखकर आघात को सहने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण, चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों के संबंध में किए गए कई दबाव परीक्षणों ने यह दर्शाया कि बैंक वाजिब स्तर तक आघातों का सामना करने में सक्षम रहे। तथापि, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ बैंकों को चलनिधिजन्य मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी लाभप्रदता बाधित हुई।

1.3 अध्याय-।। में वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रमों को शामिल किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र के परिवेश को मूर्तरूप दे सकने वाले कारकों के कतिपय पहलुओं और बैंकों के सम्मुख खड़ी चुनौतियों पर यहां प्रकाश डाला गया है।

2. परिवेश को आकार प्रदान करने वाली शक्तियां

1.4 बैंकों से संबंधित विवेकपूर्ण एवं पूंजीगत अपेक्षाओं के क्षेत्र में की जाने वाली बहुविध विनियामक पहलों के साथ ही विश्व स्तरीय बैंकिंग विनियमनों के साथ उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने से भविष्य में बैंकों की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में वैश्विक एकीकरण की दिशा में और आगे बढ़ना

1.5 हाल के वित्तीय संकट ने समस्त विश्व में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन की व्यापक रूपरेखा को पुनः परिभाषित किया है। बैंकिंग विनियमन में एकीकरण की मांग इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि यद्यपि बैंकिंग विश्वव्यापक हो गई है, किंतु बैंकिंग विनियमन राष्ट्रीय स्तर पर ही सीमित रहे हैं। इसलिए यादृच्छिक विनियमन के मुद्दे का हल किया जाना नीतिगत चिंता का प्रमुख मसला बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकाय ऐसे व्यापक सिद्धांत जारी करके एकीकरण को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं जो राष्ट्रीय विनियामक ढांचों को मूर्त रूप प्रदान कर सकें।

1.6 संकट के बाद की अवधि में वित्तीय स्थिरता बोर्ड वैश्विक वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियां विकसित करने एवं लागू करने में मार्गदर्शन देने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में उभरकर सामने आया है। बासेल-।।। की पूंजी अपेक्षाओं को लागू करने के अलावा वित्तीय स्थिरता बोर्ड प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के निर्धारण और उनकी हानि वहन करने की क्षमता; उनके लिए समाधानकारक उपायों और आवश्यक व्यवस्था का विकास करना; और प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाआ की विफलता की संभावना और प्रभाव - दोनों को कम करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं के संबंध में सघन पर्यवेक्षण और प्रभावशीलता आदि का निर्धारण करना शामिल है।

1.7 बैंकिंग विनियमन में वैश्विक एकीकरण स्थापित करने हेतु किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के अंतर्गत देश-विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा ताकि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकायों के मार्गदर्शन को आवश्यकता के अनुरूप अंगीकृत किया जा सके जिन्हें अधिकांश मामलों में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा पहले ही मान्यता दी गई हो। जहाँ तक प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सामंजस्य और उनमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ ताल-मेल बिठाने की स्वीकार्यता का प्रश्न है भारत के दृष्टिकोण में कई सकारात्मक बाह्य कारक मौजूद हैं। विशेष रूप से भारत से संबंधित प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के संचालन के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति के मार्गदर्शन में कतिपय परिवर्तन करना जरूरी है क्योंकि ऋण-जीडीपी अनुपात की अनुशंसित संरचना से भारत में ऋण वृद्धि में अंतर्निहित संरचनागत चालकों के प्रभावित होने की संभावना है। अतः पूंजी बफर संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में कतिपय समायोजन करना पड़ सकता है। रिज़र्व बैंक के एक आंतरिक समूह द्वारा इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी मानक

1.8 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आघात वहन करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए बासेल-।।। को लागू करने की मांग के प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने बासेल-।।। पूंजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। ये दिशा-निर्देश 1 जनवरी *2013* से चरणबद्ध तरीके से अमल में आएंगे और मार्च 2018 के अंत तक बासेल-।।। पूंजी अनुपातों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। बासेल-।।। को लागू करने को लेकर एक मुद्दा उठाया जाता रहा है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को बासेल-।।। मानदंड जैसे बोझिल विनियम को क्यों अपनाना चाहिए जिससे आउटपुट की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन मानकों को अपनाने के पीछे दो न्यायसंगत कारण हैं। पहला, जब भारतीय बैंक विदेशों में पदार्पण कर रहे हैं और भारतीय बाज़ारों को अंतरराष्ट्रीय सहभागियों के लिए खोल दिया गया है तो ऐसे में भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से मना नहीं कर सकता। दूसरा, हालाँकि हमारी वित्तीय प्रणाली सहज है और इसमें संकट को मूर्त रूप देने वाले कोई लक्षण नहीं हैं, फिर भी हमारे देश पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता तथा बासेल-।।। में उपलब्ध सुरक्षा कवच हमारी वित्तीय प्रणाली की आघात वहन करने की क्षमता को अपेक्षित मजबूती प्रदान करेंगे।

1.9 बासेल-।।। का उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक दबाव से पैदा होने वाले आघातों को वहन करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के जोखिम को कम किया जा सके। इसकी पूर्ति के लिए बासेल-।।। में कई सूक्ष्म-विवेकपूर्ण तत्त्वों के साथ-साथ समष्टि-विवेकपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है जो प्रणालीगत जोखिम से संबंधित मुद्दों से निपटने में मदद करेंगे।

1.10 बासेल-।।। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बासेल-।। की तुलना में विनियामक पूंजी और साझा इक्विटी की उच्चतर अपेक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बासेल-।।। के अंतर्गत सामान्य इक्विटी पूंजी प्रमुख विनियामक पूंजी होगी तथा इसमें

गैर-इक्विटी पूंजी लिखतों में मोचन हेतु कोई स्टेप-अप या अन्य प्रोत्साहनकारी उपाय जैसी नवोन्मेषी विशेषताएं स्वीकार्य नहीं होंगी। इसके अलावा, बासेल-।।। ने चलनिधिजन्य आघातों को वहन करने में बैंकों की क्षमता बढ़ाने हेतु चलनिधि संबंधी दो नए मानकों की शुरुआत की है, नामतः चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की ज़रूरत

1.11 बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान अपनाया है जो उनकी लेनदेन संबंधी अपेक्षाओं को कारगर ढंग से पूरा करता है। कोर बैंकिंग समाधान लागू किए जाने से बैंकिंग प्रणाली निर्बाध रूप से एकीकृत हो गई है। चूंकि बैंकों में बुनियादी प्रौद्योगिकी अपनाने का कार्य पूरा हो चुका है, अतः लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली से सूचना प्रक्रिया प्रणाली की ओर अग्रसर होना ज़रूरी हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने आईटी विज़न दस्तावेज 2011-17 में बैंकों को कतिपय क्षेत्रों में आगे बढ़ने और आईटी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, जैसे- प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), समग्र जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, ग्राहक संबंध प्रबंधन तथा बैंकों के बीच आपस में और रिज़र्व बैंक के साथ आंकड़ों का बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित आदान-प्रदान। बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे ऐसे नए उत्पादों, सेवाओं और कार्य-नीतियों के संबंध में अपनी नवोन्मेषी क्षमताओं को बढ़ाएं जो उन्हें अपनी कार्य-दक्षता बढ़ाने में समर्थ बना सकती हों (बॉक्स I. 1)।

1.12 बैंकों में कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग समाधान अपनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, अतः बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी अपेक्षाकृत उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने का दौर चल पड़ा है, जो ग्राहक संबंध प्रबंधन हेतु प्रयुक्त उपयुक्त साधनों, प्रबंध सूचना प्रणाली सहित आंतरिक प्रभावशीलता को बढ़ाने और आईटी लागू करने से पैदा होने वाले जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ाएंगी।

3. परिचालनात्मक एवं कार्यनीतिगत प्रतिक्रियाएं

1.13 वर्ष के दौरान कार्यनीतिगत व परिचालनात्मक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत समावेशी वृद्धि की मांगों को पूरा करने में विभिन्न विनियामकों के बीच समन्वय बढ़ाने और बैंकों की स्थिति बेहतर करने के संबंध में की गई नीतिगत पहलें शामिल हैं। इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र संबंधी विनियामक ढांचे की समीक्षा भी इसमें शामिल है।

सीमापार पर्यवेक्षण और सहयोग में सुधार हेतु की गईं पहलें

1.14 हाल में उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते वित्तीय संस्थाओं, विशेषरूप से प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थाओं, जिनकी गतिविधियां विदेशों में संचालित हों, की निगरानी के मद्देनज़र पर्यवेक्षकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों की नए सिरे से जांच करना ज़रूरी हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में जो प्रमुख कमी महसूस हुई वह थी राष्ट्रीय बैंक पर्यवेक्षकों के बीच प्रभावी पर्यवेक्षी सहयोग का न होना। परिणामस्वरूप, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं, खास तौर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षी समूहों का प्रयोग करने की ज़रूरत महसूस की गई। एक पर्यवेक्षी समूह का सर्वप्रथम उद्देश्य अपने सदस्यों को बैंकिंग समूह के जोखिम के स्वरूप के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी प्रदान करना होता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग से बैंकिंग समूह के प्रत्येक संघटक के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। ये समूह समष्टि-एवं व्यष्टि-विवेकपूर्ण नीतिगत साधनों के संगत और प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण नज़रिया पैदा करते हुए समकक्ष संस्थाओं की बड़े पैमाने पर समीक्षा करने में भी योगदान कर सकते हैं।

1.15 कुछ बड़े भारतीय बैंकों की वैश्विक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है जिसके मद्देनज़र कारगर समुद्रपारीय समेकित पर्यवेक्षण के लिए होस्ट पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की एक औपचारिक व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में अब तक किसी पर्यवेक्षी समूह का गठन नहीं किया गया है। तथापि, रिज़र्व बैंक भारत में कार्यरत कुछ प्रमुख विदेशी बैंकों के पर्यवेक्षी समूहों का दौरा करता रहा है। वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रिया की समीक्षा संबंधी उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष : डॉ. के. सी. चक्रबर्ती) ने यह सिफारिश की है कि वैश्विक स्तर पर कार्य-संचालन करने वाले बड़े ऐसे भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी समूहों की स्थापना की जाए जिनकी कुल परिसंपत्तियों में विदेशी परिचालनों से प्राप्त परिसंपत्तियों का काफी हिस्सा (लगभग 15 प्रतिशत) हो। तदनुसार, इस दिशा में एक प्रारंभिक कदम के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पर्यवेक्षी समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

बॉक्स I. 1 :
बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेष और कार्य-दक्षता में वृद्धि

नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बैंकों के संसाधनों और क्षमताओं की मांग बढ़ गई क्योंकि बैंकों को वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे बैंकिंग उद्योग के सम्मुख दो प्रकार की चुनौतियां उठ खड़ी हो गईं। पहली चुनौती थी अपने विद्यमान ग्राहक समूह की बढ़ती मांगों को पूरा करना एवं और बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबारी अवस्थिति का प्रबंध करना। दूसरी चुनौती थी परंपरागत सेवाओं और अवस्थिति से बाहर निकलकर किस प्रकार अपनी सेवाओं और कारोबार की पहुंच को बढ़ाया जाए जिसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से भी वंचित था। इस स्थिति में भारत में स्थित बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के साथ ही कई बाधाओं का सामना भी कर रहे थे जिसमें बुनियादी संरचना और मानव संसाधनों की अपर्याप्तता, भौगोलिक, स्थलाकृतिक और दूरी संबंधी सीमाएं, संप्रेषण अक्षमता, लागत-जन्य समस्याएं और सुपुर्दगी के साथ ही, कारोबार संबंधी अधिक सूचना और बड़े-बड़े खातों का प्रबंध करने की प्रसंस्करण क्षमता का समावेश है।

सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग इन चुनौतियों का सामना करने में प्रमुख साधन सिद्ध हुआ। सरकार, रिज़र्व बैंक और उद्योग के स्तर पर कई उपाय किए गए, जिनसे बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला। कोर बैंकिंग समाधान लागू किए जाने से ग्राहकों के खातों का रखरखाव निर्बाध रूप से किया जाने लगा है तथा डेटा स्टोरेज व रिट्रीवल क्षमता भी काफी बढ़ गई है। चूँकि प्रौद्योगिकी के सहारे सूचना की उपलब्धता सुगम हो गई है, साथ ही, विश्लेषण एवं संचार की क्षमता कई गुना बढ़ गई है, अतः नए उत्पादों का विकास और विपणन करने में बैंकों का सामर्थ्य भी बढ़ गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइज़ेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को विकसित करके अपनाए जाने से इस प्रकार की क्षमता एवं कार्य-दक्षता के आगे और भी समृद्ध होने की संभावना है।

अनुभवजन्य प्रमाणों के सहारे सिद्ध आर्थिक सिद्धांत के अनुसार आम तौर पर प्रौद्योगिकी पर किए जाने वाले निवेश से उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, लागत कम होती है तथा फर्में अपेक्षाकृत अधिक कार्य-दक्षता के साथ अपना कार्य-संचालन कर सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और उसके द्वारा निर्मित नवोन्मेष महत्त्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इससे उनके वित्तीय लेनदेनों की लागत कम होती है, वित्तीय संसाधनों के आबंटन में सुधार होता है तथा वित्तीय संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्य-दक्षता में इजाफा होता है। प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेष से न केवल ग्राहक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की व्यापकता साकार होती है, बल्कि इससे निरंतर व समावेशी वृद्धि को हासिल करने की क्षमता भी बढ़ती है (सुब्बाराव, 2009)।

सारे विश्व में बैंकिंग उद्योग पर आईटी का प्रभाव सकारात्मक रहा है। आम तौर पर अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि आईटी और बैंकों के कार्य-निष्पादन के बीच दो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला, आईटी से बैंकों की परिचालन लागतें कम हो सकती हैं (लागत लाभ)। दूसरा, आईटी से एक ही नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न ग्राहकों के बीच के लेनदेन संपन्न होते हैं (नेटवर्क प्रभाव)। इयादत और कोज़ाक (2005) ने 1992-2003 की अवधि में लागत और लाभ के संदर्भ में यूएस बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-दक्षता पर आईटी विकास के प्रभाव की जांच की। इस अनुसंधान ने प्रयुक्त आईटी के स्तर और लाभप्रदता व लागत की बचत के बीच का एक सकारात्मक सह-संबंध दर्शाया है। बर्गर (2003) ने भी यह दर्शाया है कि नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से यूएस स्थित बैंकों के कार्य-निष्पादन और बैंकिंग उद्योग के सुदढ़ीकरण में सुधार हुआ है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2005-06 से 2009-10 की अवधि में प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेष और आईटी में किए गए निवेश से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्य-दक्षता बढ़ी है (राजपूत और गुप्ता, 2011)। प्रौद्योगिकी, बैंकिंग उद्योग में कारोबारी प्रक्रियाओं की समूची व्यवस्था को अपने आप में समाहित कर रही है। साथ ही, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं, सामाजिक व विकासात्मक प्रत्याशाओं, कार्यनीतिगत व प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से उत्पन्न कारोबारी मांगों, आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन संबंधी मांगों, गवर्नेंस और विनियामक रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेषों के सहारे पूरा करने में बैंक समर्थ हुए हैं।

आनेवाले समय में बैंकों को उत्पादों, सेवाओं और कार्य-नीतियों को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से नई पद्धतियों को अपनाना होगा। उन्हें आईटी और अपनी कारोबारी नीतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा ताकि प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाया जा सके। भविष्यदर्शी विश्लेषण से बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा-जन्य लाभ प्राप्त हो सकता है और इससे बैंकों को उत्पाद-केंद्रित दृष्टिकोण बदलकर ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है।

संदर्भ :

राजपूत, एन. और गुप्ता, एम. (2011), 'इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन इंडियन कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री : डीईए एनालिसिस', *ग्लोबल जर्नल ऑफ एंटरप्राइज़ इन्फार्मेशन सिस्टम* (जनवरी 2011-मार्च 2011) खंड 3 अंक I

सुब्बाराव डी. (2009), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में 'इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग - ए कन्टिन्यूयिंग एजेंडा' विषय पर प्रमुख भाषण।

इयादत एम और कोज़ाक, एस. (2005), 'द रोल ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट एफीशियेन्सी इंप्रूवमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर', *अकादमी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का जर्नल*

बर्गर, ए.एन. (2003), 'द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस : इविडेंस फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री', *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट, एंड बैंकिंग,* खंड 35

1.16 इस परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक ने ऐसे समुद्र-पारीय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था है (बॉक्स I. 2)।

समावेशी वृद्धि हासिल करने में बैंकों की कार्यनीतिगत भूमिका

1.17 भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंक अहम भूमिका निभाते हैं। अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की पूर्ति में महती भूमिका निभाएं ताकि समावेशी वृद्धि और

बॉक्स I. 2:
समुन्नत समुद्रपारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के संबंध में रिज़र्व बैंक का विदेशी समकक्ष संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू)

शुरुआत

सीमापार पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षी सहयोग की अवधारणा का सबसे पहला उल्लेख 1975 में बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षी प्रथाओं से संबंधित समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पाया जाता है। तथापि, समझौता ज्ञापन को मूर्त रूप देने वाले बीजगर्भित विचार का उल्लेख एक ऐसे कार्यकारी समूह द्वारा ''द सुपरविज़न ऑफ क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग'' (अक्तूबर, 1996) नाम से जारी रिपोर्ट में पाया गया जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सदस्य शामिल थे। इस समूह ने सिफारिश की कि पर्यवेक्षकों के बीच का समझौता द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन या पत्रों के आदान-प्रदान के रूप में हो जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रत्येक पार्टी इस संबंध से क्या अपेक्षा रखती है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बीसीबीएस ने मई 2001 में ''इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ को-ऑपरेशन बिट्वीन बैंकिंग सुपरवाइज़र्स'' नामक एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें ''होम'' और ''होस्ट'' देश के पर्यवेक्षकों के बीच किए जाने वाले सहयोग के वक्तव्य या एमओयू में शामिल होने वाले प्रमुख बातों को सूचीबद्ध किया गया है।

समझौता ज्ञापन की आवश्यकता - भारतीय परिदृश्य

अब तक भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का सीमापार पर्यवेक्षण आवश्यकता पर आधारित ऑन-साइट निरीक्षण, ऑफ-साइट रिपोर्टिंग ढांचे और विदेशी विनियामकों/ पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सूचना का आदान-प्रदान करके संपन्न किया जाता रहा है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों के सीमापार परिचालन काफी बढ़ गए हैं। कुछ बैंकों ने विदेश में बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए सहायक संस्थाओं की स्थापना की है। इसे देखते हुए बैंक पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन करना ज़रूरी समझा गया और इसके लिए एक उपयुक्त ढांचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग के संबंध में कानूनी तौर पर गैर-बाध्यकारी औपचारिक व्यवस्था तय करने का प्रावधान है जो कि बीसीबीएस के विभिन्न सिद्धांतों और संबंधित देश की विधि/संविधि के अनुरूप होगा।

समुद्रपारीय प्राधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन करना

शुरुआती तौर पर 16 देशों का चयन किया गया। ये देश ऐसे हैं जहाँ के बैंक विनियामकों ने रिज़र्व बैंक के साथ इस प्रकार की व्यवस्था करने पर अपनी रुचि प्रकट की और साथ ही, जिनके अधिकार-क्षेत्र में परिचालनरत भारतीय बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक और होस्ट देश के पर्यवेक्षक के बीच समझौता ज्ञापन किया जाना एक पूर्वापेक्षा थी। रिज़र्व बैंक विदेशी विनियामकों और पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्रों के साथ ऐसा समझौता ज्ञापन किए जाने पर वार्तालाप शुरू करके पारस्परिक बैंकिंग उपस्थिति के सिद्धांत को अपनाने लगा है जिसमें इस प्रकार की पारस्परिक बैंकिंग संबंधी शर्तें शामिल हैं। इस प्रक्रिया में चयनित देशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है।

समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की वर्तमान स्थिति

अब तक रिज़र्व बैंक ने दस समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, 28 समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन संपादित किए जाने के प्रस्ताव फाइनल किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

इस क्रम में रिज़र्व बैंक का मौजूदा उद्देश्य ऐसे अधिकार-क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन संपादित करने का है जहाँ भारतीय बैंक बड़े पैमाने पर परिचालन करते हैं या जहाँ वे अपने परिचालन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रिज़र्व बैंक का दीर्घकालीन उद्देश्य पहले समय-समय पर विचार-विनिमय करके समझौता ज्ञापन तंत्र को स्थिर करना है और बाद में इन संस्थाओं के साथ पर्यवेक्षी सहयोग का आदान-प्रदान करना है तथा भारतीय बैंकिंग संस्थाओं की बेहतर ढंग से निगरानी करने के लिए होस्ट देश के पर्यवेक्षकों से जानकारी और विचार प्राप्त करके लाभान्वित होना है।

विकास हासिल किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे देश में बैंक की अगुआई वाले वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाया गया है। केन्या जैसे देशों के अनुभव के आधार पर तथा हमारे देश में मोबाइल फोनों की भारी वृद्धि और विस्तार के मद्देनज़र वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल-जनित बैंकिंग मॉडल का परीक्षण करने की मांग उठी है। तथापि, यह दलील दी जा रही है कि मोबाइल-जनित बैंकिंग के अंतर्गत केवल धन-प्रेषण के उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं तथा इसमें परिवर्ती आवर्ती जमा उत्पाद, ओवरड्राफ़्ट और आपातकालीन क्रेडिट उत्पाद, यथा- किसान क्रेडिटकार्ड/सामान्य क्रेडिट कार्ड जैसे कई उत्पादों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, बैंकों का विनियमन विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है और इससे केवाईसी/एएमएल जैसी अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्राहक सेवा में भी सहायता मिलती है। जहाँ तक मोबाइल भुगतान कंपनियों का संबंध है, रिज़र्व बैंक को इनका पर्यवेक्षण करने का प्राधिकार नहीं है। तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र में मिलने वाला प्रवेश खुला, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मानदंडों के आधार पर हो। इस प्रकार बिजनेस कॉरेस्पांडेंट्स के रूप में कार्य करने के विशेषाधिकृत प्रवेश की अनुमति देना विवेकपूर्ण नहीं है। फिर भी बैंकों को कंपनियों को बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के रूप नियुक्त करने की अनुमति देकर मोबाइल नेटवर्क कंपनियों की पहुँच बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। परंतु ये इसके प्रारंभिक दौर में हैं और आने वाले वर्षों में बैंकों और कंपनियों के बीच की इन व्यवस्थाओं की कामयाबी का विश्लेषण किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी उद्देश्यों पर राष्ट्रीय रणनीति

1.18 वित्तीय समावेशन के तहत निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय साक्षरता एक पूर्व शर्त है, क्योंकि इससे आम आदमी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं की जरूरतों और लाभों को समझ सकता है। आपूर्ति पक्ष की मध्यस्थता की पहल के अनुरूप प्रतिक्रियास्वरूप मांग पक्ष को तैयार करने में वित्तीय शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्त्वपूर्ण मांग पक्ष दबाव के रूप में जागरूकता पैदा करने और वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार करने की ओर अब अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। चूँकि वित्तीय साक्षरता के प्रसार में काफी बड़ी संख्या में हितधारी जुड़े हुए हैं, अत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे रणनीति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के तत्त्वावधान में तैयार की गई एक ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति भारतीय रिज़र्व बैंक सहित वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों ने साथ-साथ जारी की है। इस पहल के साथ, भारत नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्पेन, यू.के. और चेक रिपब्लिक जैसे राष्ट्रों, जिन्होंने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति को पहले ही लागू किया है, में शामिल हो गया है।

ग्राहक सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचा

1.19 माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयासों के अंग के रूप में क्रेडिट प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें रिज़र्व बैंक में पंजीकृत स्व-सहायता समूह (एसएचजी - बैंक लिंकेज प्रोग्राम, लाभार्थी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां - माइक्रो-फाइनैंस संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआईज़) और न्यास, सोसाइटी आदि के रूप में पंजीकृत अन्य सभी छोटी लाभार्थी एमएफआईज़ शामिल हैं, जबकि नाबार्ड की ओर से नये दिशानिर्देशों के माध्यम से एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम को मजबूत किए जाने की मांग थी, फिर भी एनबीएफसी-एमएफआईज़ पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित रहा। इस बात को याद किया जाए कि अक्तूबर 2010 में आंध्र प्रदेश राज्य ने एक अध्यादेश जारी किया था, जो बाद में कानून के रूप में अधिनियमित किया गया और जिसके द्वारा उस राज्य में कार्यरत एमएफआईज़ के कार्य को विनियमित करने की दृष्टि से उनका पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया था। उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने (माइक्रो-फाइनेंस) क्षेत्र में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* ब्याज़ दरों, उधार और वसूली प्रणालियों से संबंधित मामलों और मुद्दों के अध्ययन के लिए अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की एक उप समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम) गठित की थी। मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर एनबीएफसी-एमएफआईज़ की एक अलग श्रेणी तैयार की गई। प्रस्तावित विनियामक ढाँचा अभिशासन, प्रबंधन और ग्राहक सुरक्षा तथा साथ ही साथ एमएफआईज़ के वित्तीय स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों के संबंध में प्रतिबंध और सुरक्षोपाय की व्यवस्था करता है। एनबीएफसीज़ का समुचित और पर्याप्त विनियमन इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, जबकि उधारकर्ताओं के हितों की भी पर्याप्त रक्षा करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत और उसके द्वारा विनियमित एमएफआईज़ को राज्य साहूकारी अधिनियम से छूट देने का प्रस्ताव करने वाला माइक्रो फाइनेंस संस्था (विकास और विनियमन) बिल 2012, जिसके तहत एनबीएफसी-एमएफआई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित थीं, संसद में विचाराधीन है। आगे चलकर, एमएफआई को भी इस तरह के विनियामक ढांचे से लाभ मिलेगा, क्योंकि यह सुचारु विकास के लिए सक्षम बनाता है और अनिश्चितता को कम करता है।

4. चुनौतियां

1.20 भविष्य में, उच्चतर पूँजी अपेक्षाओं की ओर कदम बढ़ाना और सार्थक वित्तीय समावेशन की आवश्यकता बैंकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां होंगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) को अपनाने से भी बैंकों पर संसाधनों को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और वैश्विक कारकों से उत्पन्न जोखिमों की स्थिति का सावधानीपूर्वक हल निकाला जाना चाहिए।

पूंजी को बढ़ाने के लिए बासेल III की ओर अग्रसर होना

1.21 भविष्य में होने वाले आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र की सहनीयता विकसित करने के लिए बासेल III के कारगर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। बासेल III को कार्यान्वित करने की चुनौतियों को कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। आम तौर पर बासेल III से भारतीय बैंकों की पूंजीसंबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए मौजूदा पूंजी पर्याप्तता स्तर सुखद है। जीडीपी में अधिक वृद्धि के लिए इक्विटी सहित पूंजी आवश्यकताएं अत्यधिक होंगी, साथ ही जीडीपी की तुलना में क्रेडिट का अनुपात,

जो फिलहाल लगभग 55 प्रतिशत के कम स्तर पर है, अर्थव्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन होने के कारण काफी बढ़ने वाला है।

1.22 स्थूल अनुमान इस ओर संकेत करते हैं कि मार्च 2018 के अंत तक बासेल III को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गैर-इक्विटी पूंजी के रूप में 2.65 से 2.75 ट्रिलियन रुपयों के अतिरिक्त आंतरिक स्रोतों के अलावा 1.4 से 1.5 ट्रिलियन रुपयों की साझा इक्विटी की आवश्यकता होगी। यदि बासेल III पूंजी अनुपात कार्यान्वित नहीं किया जाता तो बैंकों को बासेल II पूंजी अनुपातों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता जारी रहती। अत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बढ़े हुए बासेल III पूंजी अनुपातों के कारण वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता 750-800 बिलियन रुपये होने की उम्मीद है। उसी प्रकार, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को गैर-इक्विटी पूंजी के रूप में 500-600 बिलियन रुपये के अतिरिक्त आंतरिक स्रोतों के अलावा 200-250 बिलियन रुपये की साझा इक्विटी की आवश्यकता होगी। ये अनुमान सभी बैंकों के लिए अलग-अलग रूप से 20 प्रतिशत प्रति वर्ष के जोखिम भारित आस्तियों में समान वृद्धि के पारंपरिक अनुमान पर तथा प्रत्येक बैंक के आंतरिक स्रोतों के मूल्यांकन (1.0-1.2 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के दायरे में) पर आधारित हैं।

1.23 बासेल III लागू करने हेतु सर्वाधिक किफायती मॉडल तैयार करना प्रत्येक बैंक के लिए महत्त्वपूर्ण काम है। बैंकों को नई पूंजी, विशेषकर कार्यान्वयन के बाद वाले वर्षों के लिए, जारी करनी होगी। हालाँकि जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) के उच्चतर होने की स्थिति से भारतीय बैंकों को कोर इक्विटी पूंजी के बड़े घटक के साथ एक मजबूत प्रारंभिक आधार प्राप्त होने का फायदा है, फिर भी इक्विटी की बड़ी आवश्यकताएं, हालांकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, बैंकों के इक्विटी पर होने वाले प्रतिलाभ पर दबाव डालकर उसे कम कर सकती हैं। लंबी अवधि में निवेशकों को निम्नतर इक्विटी प्रतिलाभ को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम को कम करेंगी। हालांकि अल्पावधि में उत्पादकता को बढ़ाना ही इसका एकमात्र हल है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मालिक होने के कारण भारत सरकार को इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ एकीकरण से जुड़े मुद्दे

1.24 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जनवरी 2010 में क्रमिक रूप से आईएफआरएस से एकीकारण की रूपरेखा जारी की है जो 1 अप्रैल 2011 से लागू होगी। इसके अनुसार भारत स्थित वाणिज्य बैंकों का आईएफआरएस से एकीकरण 1 अप्रैल 2013 से शुरू होगा। तथापि, देशी और अंतरराष्ट्रीय - दोनों तरह के कई मुद्दों के कारण भारत का आईएफआरएस से एकीकरण का मार्ग मुश्किल हुआ है। कुछ कॉर्पोरेट श्रेणियों का 1 अप्रैल 2011 से अंतरण होना था, जो नहीं हुआ है। फिलहाल, भारत में एकीकरण की योजना के संबंध में सुस्पष्टता का अभाव है।

1.25 वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने वित्तीय लिखत (अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक-39, वित्तीय लिखतों की पहचान और मापन) संबंधी मौजूदा मानक के स्थान पर आईएफआरएस 9: वित्तीय लिखत नामक नया मानक प्रतिस्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। चूंकि आईएएसबी हानि और बचाव लेखाकरण के संबंध में कुछ गंभीर प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दे सका अत: इस योजना ने निर्धारित समय के अनुसार कोई प्रगति नहीं की। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए, यह संभावना प्रतीत नहीं होती कि 2013 के मध्य के पहले आईएफआरएस 9 पूर्णत: तैयार होगी। आईएफआरएस 9 को अंतिम रूप देने के संबंध में सुस्पष्टता का अभाव और अनिश्चितता तथा उसका यूएस के सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) से एकीकरण तथा साथ ही, एकीकरण के दौरान भारतीय बैंकों के लिए उभरने वाले प्रमुख तकनीकी और मानव संसाधन संबंधी मसले भी भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं, जो विनियामकों के लिए भी उतनी ही चिंताजनक बात है।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता

1.26 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता उनके वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है और वह बैंकों के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन और उससे उबरने की क्षमता को भी दर्शाती है। बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता निरंतर सुधार की अवधि के बाद वर्ष 2011-12 के दौरान काफी कम हो गई है। 2003-07 की तेजी की अवधि में अपर्याप्त क्रेडिट मूल्यांकन और देशी तथा बाह्य मोर्चे की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की मौजूदा स्थिति पैदा हुई। भारतीय बैंकों के अनर्जक आस्ति प्रबंधन ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे संकट के प्रारंभिक संकेतों का जल्दी पता लगाने के लिए और आस्तियों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने अनर्जक

आस्ति खातों, बट्टे खाते, समझौता निपटान किए गए, वसूली और पुनर्गठित खातों संबंधी सिस्टम जनरेटेड खंड-वार डेटा रखें।

वैश्विक कारकों से अधिक जोखिम के बाद भी वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी रही

1.27 देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत है। फिर भी, वैश्विक कारकों और देशी समष्टि आर्थिक कारकों के कारण स्थिरता के लिए जोखिम बढ़े हैं। देशी विकास धीमा हुआ है। बचत और निवेश दरें भी निम्नतर हैं। हालाँकि मुद्रस्फीति संयत है, लेकिन वह अब भी निरंतर विकास के लिए सहायक स्तर से अधिक है। चालू खाता और राजकोषीय घाटे के उच्च स्तरों से भी जोखिमों का खतरा है। वृद्धि में कमी, यूरो क्षेत्र में जारी अस्थिरता, अनिश्चित पूंजी प्रवाह जैसी वैश्विक गतिविधियों से पैदा हुए जोखिमों और बैंकों द्वारा डीलिवरेजिंग के प्रभाव से देशी समष्टि आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है। इसके बावजूद देशी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति निरंतर बनी हुई है। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणालीगत जोखिम के संबंध में किए गए आवधिक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली के सभी हितधारकों में प्रणाली के प्रति विश्वास बरकरार रहा। प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकों के बीच अंतर्निर्भरता बढ़ गई है जिसके चलते उनकी कड़ाई से निगरानी करना बेहद ज़रूरी हो गया है।

कारगर पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए आंकड़ों की सटीकता पूर्वशर्त है

1.28 नीतिगत निर्णय लेने में छोटे-छोटे खंडों से जुड़े आंकड़ों की आवश्कता काफी बढ़ गई है। अतः हमारे देश में बैंकिंग के बुनियादी ढांचे संबंधी डेटाबेस में सुधार करना ज़रूरी है। रिज़र्व बैंक के आईटी विज़न के मद्देनज़र समुचित स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग प्रणालियों को अपनाते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं से स्वचालित आंकड़ा-प्रवाह को साकार करने की ओर प्रयास करना चाहिए। आंकड़ों की गुणवत्ता, सटीकता और प्रेषण में सुधार लाने के लिए प्रोसेसिंग की दृष्टि से डेटा वेयरहाउसिंग के प्रयोग को मज़बूत बनाना चाहिए। दूसरा, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया की खामियों की पहचान करने एवं उन्हें दूर करने तथा बैंकिंग प्रणाली के लिए समुचित जोखिम मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग क्षेत्रों में सांख्यिकीविदों और बैंक पर्यवेक्षकों के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। तीसरा, आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उसमें स्रोत प्रणालियों से स्वचालित रूप से आंकड़े प्राप्त करने की क्षमता हो। वित्तीय समावेशन की व्यापकता को मापने और इस संबंध में विभिन्न नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को आंकने हेतु पूरे देश में बैंकिंग क्षेत्र का बुनियादी ढांचा उन्नत और छोटे-छोटे खंडों से जुड़े डेटाबेस की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। त्वरित रूप से निर्णय लेने की दृष्टि से समान रूप से आंकड़ों के शीघ्रतर एवं अपेक्षाकृत अधिक सटीक प्रेषण को सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी स्तर की संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए। इसे साकार करने के लिए मौजूदा विवरणी-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली के स्थान पर डेटाबेस रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाए।

वित्तीय समावेशन : सार्थक समावेशन की आवश्यकता

1.29 सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय दायित्व होने के साथ-साथ एक नीतिगत तरजीह भी है। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने इस दिशा में कई पहलें की हैं। कई गाँवों में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स की व्यवस्था किए जाने से ग्रामीण जनता में बैंकिंग के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। हालांकि अब भी काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है जैसे कि हमारी आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा साधारण किस्म की औपचारिक वित्तीय सेवाओं से भी वंचित है। वित्तीय समावेशन की पहलों को सार्थक बनाने के लिए नो-फ्रिल खातों में होने वाले लेनदेनों की संख्या और मूल्य को बढ़ाना आवश्यक है।

1.30 बैंकों को प्रत्येक गांव में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट टच-पाइंट स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तथापि, इसे एक स्वयं-समर्थ बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए बैंकों को लंबी अवधि के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं एवं एक बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट नेटवर्क की मिश्रित व्यवस्था के माध्यम से सारे ग्रामीण लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, जैसे- धन प्रेषण, आवर्ती जमा, केसीसी और जीसीसी के रूप में उद्यमितार्थ ऋण, बीमा (जीवन और गैर-जीवन) तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रौद्योगिकी के भरपूर प्रयोग के लिए उन्नत जोखिम प्रबंधन साधन जरूरी हैं

1.31 प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबद्ध परिचालनात्मक जोखिमों के चलते सूचना सुरक्षा का महत्त्व बढ़ रहा है। सूचना सुरक्षा, आंकड़ों की सटीकता और भंडारण के साथ-साथ संचार माध्यमों से संबंधित मुद्दों ने इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में कई चुनौतीपूर्ण पहलुओं को सामने रखा है। इन नई चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने के

लिए बैंकों में मौजूद सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणालियां निरंतर मज़बूत हों।

5. आगे का रास्ता

1.32 आने वाले समय में बैंकों को अनिवार्य उच्चतर पूंजी मानकों, चलनिधि और लीवरेज अनुपातों की सख्त अपेक्षा को पूरा करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही, इसमें पैदा होने वाले जोखिम से निपटने के लिए काफी सतर्कतापूर्ण पद्धति अपनानी चाहिए। तात्पर्य यह है कि भारतीय बैंकों को अपनी कार्य-दक्षता में सुधार करना चाहिए, हालांकि इससे उनके कारोबार संचालन की लागत बढ़ सकती है। उन्हें उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन को हासिल करने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन कौशलों को परिमार्जित करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में उचित एवं विभेदीकृत जोखिम मूल्य-निर्धारण पद्धति अपनानी चाहिए, क्योंकि पूंजी हासिल करने की लागत बड़ी होती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं - लागत निर्धारण, जिसमें प्रत्येक उत्पाद और सेवा से प्राप्त होने वाली आय का मात्रात्मक मूल्यांकन तथा एक सुदृढ़ अंतरण कीमत प्रणाली, जिसमें पूंजी आबंटन का निर्धारण किया जाता है।

1.33 वर्ष 2011-12 में अनर्जक आस्तियों के स्टाक में बढ़ोतरी हुई है। 2005-08 की अवधि में बैंकिंग प्रणाली के स्लिपेज अनुपात में घटने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, जबकि 2008-12 की अवधि में इसमें बढ़ोतरी हुई। बैंकों को न केवल अशोध्य ऋणों के समाधान एवं वसूली के संबंध में रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न उपायों का कारगर ढंग से प्रयोग करना चाहिए, अपितु उन्हें बढ़ती अनर्जक आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए भी समुचित सावधानी, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी के बाद की ऋण निगरानी प्रणालियों को मज़बूत बनाना होगा।

1.34 इसके अलावा, वृद्धि को मजबूत करने के लिए बैंकों को अनछुए कारोबारी अवसरों को तलाशना चाहिए। इसके लिए निचले स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का दोहन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अभीष्ट बड़े-बड़े कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने में छोटे ग्राहकों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जिन तक अभी बैंकों की पहुंच नहीं है। मध्यस्थता पर लगने वाली लागत को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का इष्टतम प्रयोग करने के साथ-साथ अपने लाभ को बनाए रखना बैंकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल में बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दरों के अविनियमन तथा और अधिक बैंकों को सरकारी कारोबार उपलब्ध कराने जैसी कई विनियामक पहलें की गई हैं। साथ ही, एक ओर नए बैंकों की लाइसेंसिंग एवं विदेशी बैंक शाखाओं के अनुषंगीकरण जैसे भावी कदम प्रस्तावित हैं तो दूसरी ओर ग्राहकों की आकांक्षा और प्रत्याशा बढ़ती जा रही है एवं उनका स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है एवं बाज़ार अपेक्षाकृत और क्रेता-उन्मुख हो सकता है। चूँकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के उच्च पथ की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः बैंकों को बदलते आर्थिक परिवेश में अपने आप को ढालने के लिए प्रयास करना होगा, जिसके लिए उन्हें अपनी कारोबारी कार्य-नीति का पुनर्निर्धारण करना चाहिए, ग्राहकों को ध्यान में रखकर उत्पादों को तैयार करना चाहिए तथा अपनी सेवाओं की कार्य-दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लागत कम करने के साथ-साथ जमाकर्ताओं और उधारदाताओं को लाभ पहुंचाना भारतीय बैंकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है।

1.35 देशी और वैश्विक समष्टिआर्थिक परिवेश की कठिन परिस्थितियों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियों के बावजूद विनियमन के लिए उठाए गए कदमों और भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित शक्तियों के सहारे बैंकिंग प्रणाली में संक्रमण के इस अस्थायी दौर का सामना किया जा सकता है। हमारी विकासशील अर्थवयवस्था की वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में यह मध्यस्थ के रूप में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगा।